सं. ई-11012/13/2017-18-हिंदी/ 54

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केंद्रीय जल आयोग

(हिंदी अनुभाग)

906(द), सेवा भवन,
आर के पुरम,
नई दिल्ली - 110 066

दिनांक 30 जनवरी, 2018

परिपत्र

विषय: मंत्रालय में चल रही हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के लिए प्रविष्टियां मंगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (हिंदी अनुभाग) के दिनांक 18.01.2018 के परिपत्र सं. ई/11022/1/2017-हिन्दी/51-250 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु के.ज.आ. (मुख्यालय) के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसके द्वारा मंत्रालय में चल रही हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु प्रविष्टियां मांगी गयी है। पुस्तक की विषय वस्तु जल/जल संसाधनों से संबंधित होगी और पृष्टों की संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए 1,00,000 (एक लाख) रुपए का पुरस्कार है। इस योजना में भाग लेने के इच्छुक नागरिक, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी या किसी शिक्षण संस्थान/विश्व विद्यालय में कार्यरत व्यक्ति अपनी मौलिक रचनाएं यथाशीघ्र निम्नलिखित पते पर भेजें:-

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय),
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

संलग्न: यथोक्त

30/1/18

सहायक निदेशक (राजभाषा)
बी.पी.एल. 3720

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सचिव, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. सभी निदेशक/ शाखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. निदेशक (समन्वय), अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. निदेशक (एस एम डी) - **इस अनुरोध सहित कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को तत्काल केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करा दें।**

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

एस एम डि अनु./Sec./निदे./Dte.
डा. सं./Dy. No. 34
दिनांक/Date 2/2/18

फा.सं. ई.11022/1/2017-हिन्दी/51-250

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 18.01.2018

परिपत्र

विषयः मंत्रालय में चल रही हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के लिए प्रविष्टियां मंगाने के संबंध में।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी को प्रेरणा और प्रोत्साहन से आगे बढ़ाने के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उनके कार्यों से संबंधित विषय वस्तु पर लेख/पुस्तकें आदि प्रकाशित करने का प्रावधान है। अतः सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में 01 जनवरी, 2017 से हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन योजना चल रही है।

योजना का विवरण इस प्रकार हैः-

1. योजना 1 जनवरी, 2017 से लागू है।
2. **योजना का नाम "जल/जल संसाधन के विषय में हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना"** है।
3. योजना के तहत "पुस्तक" का आशय लेखक/लेखकों द्वारा मूलतः लिखी गई पुस्तक से है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए।

उद्देश्यः- योजना का उद्देश्य जल/जल संसाधनों संबंधी विभिन्न विषयों के बारे में हिन्दी में उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण सूचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक साहित्य सृजन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना है।

पुरस्कारः- प्राप्त प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए 1,00,000 (एक लाख) रूपए का पुरस्कार रखा गया है।

अवधिः- इस योजना की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की है और पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए उन पुस्तकों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार से संबंधित कैलेंडर वर्ष से पहले लिखी गई होंगी।

पुरस्कार की पात्रता एवं शर्तें:- 1. पुस्तक की विषय वस्तु जल/जल संसाधनों से संबंधित होगी।
2. इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी या किसी शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति भाग ले सकता है।

3. यदि पुरस्कार के लिए चुनी लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाए

4. पहले से पुरस्कृत पुस्तकों क पुरस्कार हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

5. पुस्तक स्वच्छ/स्पष्ट रूप में टंकित/मुद्रित होनी चाहिए।.

मूल्यांकन समितिः-

1. पुरस्कार के लिए प्राप्त पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसकी संरचना इस प्रकार है-

   (क) संयुक्त सचिव (पीपी) एवं राजभाषा प्रभारी - अध्यक्ष

   (ख) संयुक्त निदेशक (रा.भा.) - सदस्य

   (ग) अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य

2. मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के अपने मानदंड निर्धारित करेगी।
3. मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी प्रकार से बाध्यकारी होगा। किसी एक वर्ष में मूल्यांकन समिति इस आशय का निर्णय ले सकती है कि कोई भी पुस्तक (प्रविष्टि) पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं है।
4. प्रत्येक वर्ष पुरस्कार के लिए कम से कम तीन प्रविष्टियां प्राप्त होनी अनिवार्य होंगी ताकि परस्पर मूल्यांकन के आधार पर एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुनी जा सके।

सामान्यः-

1. पुरस्कार के निर्णय की सूचना औपचारिक पत्र द्वारा दी जाएगी।
2. पुरस्कार निर्णय प्रक्रिया के बारे में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
3. पुरस्कार के लिए भेजी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक के साथ उसके लेखक द्वारा पुस्तक की मौलिकता से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
4. पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कॉपीराइट अधिकार, उसके पास सुरक्षित रहेगा।

प्रविष्टि भेजने की विधिः-

1. प्रविष्टियां एक निर्धारित प्रपत्र के साथ भेजी जानी अपेक्षित हैं (प्रपत्र की प्रति संलग्न है)।
2. पुरस्कार के लिए भेजी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां (स्वच्छ टंकित) मुद्रित भेजी जानी अपेक्षित हैं जो लौटाई नहीं जाएंगी।
3. एक लेखक एक से अधिक पुस्तकें विचारार्थ भेज सकता है, बशर्ते कि, उनकी विषय वस्तु परस्पर भिन्न हो।
4. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं-

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली।

5. प्रविष्टियों के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में **"जल/जल संसाधन संबंधी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना"** अवश्य लिखा जाए।

अतः सभी से अनुरोध है कि कलैंडर वर्ष 2017 (01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2017) के पुरस्कार के लिए अपनी-अपनी प्रविष्टियां यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

18.1.2018

(एम.सी. भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23714374

सेवा में,

1. भारत सरकार सभी मंत्रालय और विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रीक्षक, नई दिल्ली।
8. वेतन तथा लेख कार्यालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
9. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
10. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के निजी सचिव/जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री के निजी सचिव।
11. सचिव (ज.सं.,न.वि. और गं.सं.) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पीपी) एवं राजभाष प्रभारी के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।
12. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। अनुरोध है कि इस [redacted] योजना के बारे में प्रेस विज्ञिप्त जारी करने का कष्ट करें।
13. सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी बिल्डिंग-II, नई दिल्ली।
14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण/संस्थान/सोसाइटी/बोर्ड आदि।
15. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी तथा अनुभाग/डेस्क/यूनिट आदि।
16. सभी राज्यों के प्रधान सचिव एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य प्रशासक, नई दिल्ली।

प्रपत्र

जल/जल संसाधन संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना

1. पुस्तक का नाम.....

2. पुस्तक का विषय.....

3. क) लेखक/लेखकों का नाम.....

   ख) पूरा पता.....

   ग) दूरभाष.....

4. पुस्तक लिखने का वर्ष.....

5. क्या पुस्तक को पहले किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें:

   क) किस वर्ष में भेजी गई.....

   ख) किसे भेजी गई (पूरा पता).....

   ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें.....

   .....

6. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि

   क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूं/हैं।

   ख) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप में हिन्दी में लिखी गई है।

ग) मेरी/हमारी पुस्तक की इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि से कॉपीराइट अधिनियमों के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम जल संसाधन संबंधी विषयों पर मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.....

नोटः-

1. इस प्रपत्र को उचित प्रकार से भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को भेजा जाए।

2. लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए।

स्थान.....

दिनांक.....